हुक्मनामा

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा राज0

प्रकरण संख्या : पत्थरगढी 145/2022 दिनांक : 26.5.22

1. भेरूलाल पिता चतरू जी जाति रेगर आयु वयस्क निवासी लसडावन तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
2. प्रेम पत्नि किशनलाल जी जाति रेगर आयु वयस्क निवासी लसडावन तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
3. नाबालिग नारूलाल पिता किशनलाल संरक्षक सरपरस्त माता प्रेम पत्नि किशनलाल जी रेगर निवासी लसडावन तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
4. नाबालिग राहुल पिता किशनलाल संरक्षक सरपरस्त माता प्रेम पत्नि किशनलाल जी रेगर निवासी लसडावन तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0। ....प्रार्थीगण

//बनाम//

1. कान्ता बाई पत्नि इन्द्रमल जी जाति भाम्बी आयु वयस्क निवासी निम्बाहेडा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0।
2. अणछी बाई पत्नि मांगीलाल जी जाति रेगर आयु वयस्क निवासी लसडावन तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0। ....विपक्षीगण

कार्यवाही धारा 128 रा0ले0रे0 एक्ट

प्रेषिती :-

श्रीमान् तहसीलदार, तहसील निम्बाहेडा राज0

जो कि प्रार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपनी खातेदारी की आराजीय ग्राम लसडावन प0ह0 लसडावन भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कारूण्डा तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज0 की संख्या नया 445 जिसके आ0 न0 284 रकबा 0.4900 हैक्टेयर लगानी 5.88 रूपये स्थित है, इस आशय की पत्थरगढी पेश की। साथ में नकल जमाबन्दी व नक्शा ट्रेस पेश की। विपक्षीगण प्रार्थीगण की भूमि के पडौसी है। प्रार्थीगण राजस्व रेकॉर्ड में प्रश्नगत भूमि के खातेदार काश्तकार है जिसे अपनी खातेदारी आराजीयात की पत्थरगढी कराने का कानूनन अधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। तहसीलदार, निम्बाहेडा को 500 /–रूपये फीस पर कमिश्नर नियुक्त कर आदेश दिया जाता है कि उभयपक्ष को सूचना देते हुए मौके पर कोई विवाद नही होने की स्थिति में, किसी न्यायालय का स्थगन आदेश नही होने पर प्रार्थीगण की खातेदारी की भूमि की बिना किसी के कब्जे में दखलअन्दाजी किए आराजी की पत्थरगढी कर सीमा चिन्ह रोपे। पालना रिपोर्ट न्यायालय में 15 दिवस में पेश करे।

यह हुक्मनामा आज दिनांक 26.5.22 को मेरे हस्ताक्षर एवं मोहर न्यायालय से जारी किया गया।

उपखण्ड अधिकारी, निम्बाहेडा
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा (चित्तौड़गढ़)